

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
कमांक: एफ. 3 (ख) (1) अलेसे-11/18361-75 दिनांक :-16 जनवरी 2014
आदेश संख्या 348/2013-14

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 29 (2ए) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति नियमित वर्ष 2013-14 की सिफारिशों के आधार पर निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों, जिनका चयन उक्त नियमों के अन्तर्गत लेखाकार के रिक्त पदों पर वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर किया गया था, किन्तु इनके द्वारा तत्समय संतान घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण पदोन्नति आदेश जारी नहीं किये गये थे। अब इनके द्वारा वांछित संतान घोषणा पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने के कारण निम्नांकित क.लेखाकारों की पदोन्नति की जाकर लेखाकार पद की वेतन श्रृंखला (पी.बी.2) 9366-34800 ग्रेड-पे नम्बर 12 (रुपये 4200/-) में स्थानापन रूप से नियुक्त किया जाता है:-

क.सं.	गेरिट नम्बर	कम्प्यूटर लिंक नम्बर	कनिष्ठ लेखाकार का नाम सर्वश्री	अनु.जा/अनु.जजा.	पदोन्नति वर्ष	जन्मतिथि
1	2	3	4	5	6	7
1.	321/88	4498	दिनेश कुमार सोनी (खण्डीय लेखाकार)		2013-14	01.07.1966
2.	557/88		श्रवण सिंह		2013-14	15.05.1963
3.	712/88	2572	गोविन्द नारायण राव		2013-14	06.06.1967
4.	433/90	5179	तिलकराज अजमेरा		2013-14	07.01.1967
5.	437/90	2150	राजेन्द्र कुमार खण्डेलवाल		2013-14	08.04.1960
6.	588/90	2474	ममता टण्डन		2013-14	14.10.1967

उपयुक्त कनिष्ठ लेखाकार पदोन्नति के फलस्वरूप अपने वर्तमान पदों पर इन पदों को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकता क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे।
उक्त आदेश वित्त विभाग की स्वीकृति संख्या प.2 (15) वित्त/राजस्व/10 दिनांक 21 जून 2013 के अनुसरण में जारी किये गये हैं।

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

कोष एवं लेखा
दिनांक :-16 जनवरी 2014

कमांक: एफ. 3 (ख) (1) अलेसे-11/18361-75

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि वे कृपया संबंधित क0 लेखाकार को लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण करा इस विभाग को सूचित करावें।
2. अतिरिक्त निदेशक, (कार्मिक-11) कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निवेदन है कि सम्बन्धित कनिष्ठ लेखाकारों के वर्तमान पदस्थापन के कार्यालय एवं सम्बन्धित कार्यालय में कार्यग्रहण की तिथि एवं सम्बन्धित की निजी पत्रावलियों पूर्ण कर भिजवाने की व्यवस्था करावें।
3. कोषाधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि वे कृपया संबंधित क0 लेखाकार को लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण करा इस विभाग को सूचित करावें।
4. एसीपी (उपनिदेशक-कम्प्यूटर अनुभाग) वेबसाईट पर अपलोड हेतु
5. श्री को प्रेषित कर निदेशित किया जाता है कि वे कार्यग्रहण सूचना अविलम्ब इस विभाग को भिजवावें।
6. डीपीसी अनुभाग/ गोपनीय अनुभाग
7. निजी सहायक निदेशक महोदय
8. निजी पत्रावली

(क.एम.मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)